भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संः 3/4/आई.डी./2009/एस0डी0आर0 दिनांकः 6 अप्रैल, 2009

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों (ई. पी. आई. सी.) के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए ; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 भारत निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटोग्राफ सहित फोटो–पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन ई पी आई सी जारी किये गये है, उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना ई. पी. आई. सी. प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से ई0पी0आई0सी0 प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर उन्हें वोट डालने से मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधो के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनों को ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को ई. पी. आई. सी. जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त,1993 को एक आदेश दिया था ; और

115

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से ई. पी. आई. सी. जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रो के, निर्वाचन–तन्त्रों ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान–पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्रों और इलाकों मे अनेक चक्रो को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचन फोटो पहचान–पत्र जारी किए है ; और

7. यतः असम, जम्मू व कश्मीर तथा नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचकों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी हैं और जारी कर दी गई है ; और

8. यतः, जनवरी–मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों, तथा तब से अब तक सभी साधारण तथा उप–निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके है, उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान–पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान –पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके ; और

9. अतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी निर्वाचकों को, जिन्हे मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी किए गए हैं, उन्हे 23 मार्च, 2009, 28 मार्च, 2009, 2 अप्रैल, 2009, 11 अपैंल, 2009 तथा 17 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित लोक सभा के चालू साधारण निर्वाचन तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा सिक्किम विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन तथा झारखण्ड, कर्नाटक, मिजोरम नागालैण्ड और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के लिए उपनिर्वाचनों में मतदान केन्द्रो पर मत डालने और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई निर्वाचक अपना ई. पी. आई. सी. प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत करना होगा :–

 116

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(iii) आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन) ।

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियो को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (28.2..2009 को या इससे पूर्व खोला गया खाता) ।

(vi) फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डी0 आदि ।

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28.2.2009 को या उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग फोटो युक्त प्रमाण–पत्र ।

(viii) फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश (28.2.2009 को या उससे पूर्व जारी)

(ix) स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र ।

(x) 28.2.2009 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस ।

(xi) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 28.2.2009 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र ।

(xii) 28.2.2009 तक जारी फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए. पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र (कार्ड),

(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय 28.2.2009 को या उससे पूर्व जारी) ।

10. परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की

117

पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आंए तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके ।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
सचिव